

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 229 विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक **w0517422**

विषय :- पी.टी. मिसिंग की गलत बिलिंग राशि रु. 151983/- को सरचार्ज सहित समाप्त करने बाबत।

मेसर्स भारती इन्फ्राटेल क.लि.,
ग्राम-पिपल्यामण्डी,
मल्हारगढ़

---परिवादी

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मप्रपक्षेविविकलि. मल्हारगढ़

---उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से अभिभाषक श्री आशिष जैन उपस्थित।

विपक्ष की ओर से श्री राकेश उपमन्यु, सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3404008299, स्वीकृत भार 15 किलोवॉट है। परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता होकर प्रत्येक माह समय से बिल अदा करता है। परिवादी को विपक्षी का एक पत्र अनुसार कथित पी.टी. मिसिंग अवधि 30.04.2021 से 19.11.2021 तक की पी.टी. मिसिंग यूनिट की राशि रु. 151983/- का प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा विपक्षी को निवेदन किया गया था कि जो कथित पी.टी. मिसिंग का बिल दिया गया है, जबकि परिवादी के परिसर में कोई पोटेंशियल मिसिंग (पी.टी. मिसिंग) नहीं हुई है। परिवादी को एम.आर.आई. की प्रति विपक्षी द्वारा केवल दिखाई गई थी, स्वयं परिवादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनके परिसर में कोई पी.टी. मिसिंग नहीं हुई है।

विपक्षी के अनुसार यदि पी.टी. मिसिंग कोई होती भी है तो इसका सीधा अर्थ है कि मीटर ने सही खपत दर्ज नहीं की है अर्थात् विपक्षी के अनुसार मीटर ने दोषपूर्ण खपत दर्ज की है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सप्लाय कोड 2013 (संशोधित मध्य प्रदेश सप्लाय कोड 2021 की कण्डिका 8.44) के अनुसार एकमात्र कण्डिका है जो मीटर के दोषपूर्ण खपत के सम्बंध में बिल

सुधारने हेतु विद्युत विभाग को दिशा निर्देश जारी किये हुए है। निवेदन है कि पी.टी. मिसिंग का जो बिल दिया है उसे सरचार्ज सहित समप्त करने की कृपा करें।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया कि परिवारी का कनेक्शन एस.टी.एम. दल के द्वारा दिनांक 27.11.2021 को निरीक्षण करने पर पाया गया कि परिवारी के परिसर पर स्थापित 40/200 एम्पीयर क्षमता की मीटर का आर-फेज का पी.टी. लॉक होकर कार्बनाइज्ड अवस्था में है जिसे मौके पर ही सुधारा गया एवं एम.आर.आई. की गई। एम.आर.आई. की टेम्पर डाटा रिपोर्ट के विश्लेषण के पश्चात यह पाया गया कि आर फेज पीटी मिसिंग की अवधि 30.04.2021 से 19.11.2021 तक है। उक्त अवधि की आर फेज पी.टी. मिसिंग की आंकलित खपत नियमानुसार गणना एस.टी.एम. के द्वारा की गई जिसका कुल यूनिट 19148 है, जिसकी राशि के भुगतान हेतु डिमाण्ड की राशि रु. 151939/- परिवारी के बिल में माह जनवरी-2022 में जोड़ी गई है जो कि नियमानुसार भुगतान योग्य है।

एस.टी.एम. दल के द्वारा निरीक्षण में आर-फेज का पी.टी. लॉक कार्बनाइज्ड अवस्था में होना पाया गया जिसकी मौके पर एम.आर.आई. भी की गई जिसमें भी आर फेज मिसिंग दर्ज हुआ। नियमानुसार निरीक्षण के दौरान एम.आर.आई. की गई है। परिवारी के परिसर पर स्थापित मीटर आर फेज का पी.टी. लॉक होकर कार्बनाइज्ड अवस्था में होने के कारण मात्र वाय एवं बी फेज पर खपज दर्ज हुई है, जिसकी नियमानुसार विश्लेषण के पश्चात ही बिलिंग की गई है। निरीक्षण दिनांक को सुधार के पश्चात मीटर में किसी भी प्रकार की असामान्यता दर्ज नहीं हुई है ना ही उपभोक्ता के द्वारा दर्ज कराई गई है।

परिवारी को मिसिंग यूनिट नियमानुसार एम.आर.आई. से प्राप्त डाटा विश्लेषण के पश्चात प्राप्त मिसिंग पीरियड के लिए ही जारी किया गया है जिसकी बिलिंग के पश्चात भुगतान योग्य राशि रु. 151940/- है एवं रु. 43/- टी.डी.एस. कुल राशि रु. 151983 की राशि जो कि नियमानुसार सही है एवं भुगतान योग्य है।

विधिक प्रावधान :-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.35 के अनुसार :-
8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन

तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का स्वीकृत भार 15 किलोवॉट, गैर घरेलू श्रेणी सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3404008299 मेसर्स भारती इनफ्राटेल लिमिटेड ग्राम- पिपल्यामण्डी में विद्यमान है। परिवादी ने फोरम में वाद लगाते हुए कथन किया कि विपक्षी का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिस अनुसार कथित रूप से पी.टी. मिसिंग अवधि 30.04.2021 से 19.11.2021 तक की यूनिट की राशि रु. 151983/- की बिलिंग की गई। अतः निवेदन है कि म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार बिल रिवाइज किये जाने की कृपा करें।

विपक्ष ने बताया कि परिवादी के यहां आर-फेज का पी.टी. लॉक कार्बनाइज्ड अवस्था में है। एम.आर.आई. से प्राप्त डाटा विश्लेषण के पश्चात प्राप्त मिसिंग पीरियड के लिए ही जारी किया गया है जिसकी बिलिंग के पश्चात भुगतान योग्य राशि रु. 151940/- है एवं रु. 43/- टी.डी.एस. कुल राशि रु. 151983 की राशि जो कि नियमानुसार सही है एवं भुगतान योग्य है। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी मेसर्स भारती इनफ्राटेल लिमिटेड ग्राम- पिपल्यामण्डी के परिसर में स्थापित मीटर क्रमांक 3746804 मेक जीनस में दिनांक 30.04.2021 से दिनांक 19.11.2021 तक की अवधि में कथित रूप से पी.टी. मिसिंग का टेम्पर पाया गया परन्तु यह आर फेज पी.टी. मिसिंग इवेंट सतत न होकर अलग-अलग समय पर Occur हुआ एवं Restore हुआ है। पी.टी. मिसिंग टेम्पर 12 बार Occur हुआ एवं Restore हुआ है। पी.टी. मिसिंग टेम्पर की अवधि में मीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज की गई है। दिनांक 27.11.2021 को एस.टी.एम. दल के द्वारा निरीक्षण में आर फेज का पी.टी. लॉक कार्बनाइज्ड अवस्था में होना पाया गया जिसे सुधारा गया एवं तीनों फेज पर वोल्टेज सही मिलने लगा।

पी.टी. मिसिंग अवधि का विपक्ष द्वारा दिनांक 30.04.2021 की रीडिंग 174432 से दिनांक 19.11.2021 की रीडिंग 38295 के अन्तर की खपत 38295 का आधा करके 19147 यूनिट का बिलिंग राशि रु. 151983/- की गई है, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार गणना नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त बिलिंग राशि रु. 151983/- को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान में उल्लेखित कण्डिका 8.35 के अनुसार जिस अवधि में मीटर की त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज हुई है उस अवधि में प्रदाय विद्युत की गणना हेतु पी.टी.मिसिंग टेम्पर शुरु होने के पूर्व के तीन माह की खपत अर्थात् मार्च-2021, फरवरी-2021 एवं जनवरी-2021 की मासिक औसत खपत के आधार पर मीटर में दर्ज त्रुटिपूर्ण खपत को हटाते हुए संशोधित देयक जारी किया जाना चाहिए। विपक्ष द्वारा परिवादी को दिनांक 30.04.2021 से 19.11.2021 तक पी.टी. मिसिंग अवधि की 19148 यूनिट राशि रु. 151939/- को निरस्त किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में मीटर में त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज होने पर इस प्रकार से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ विपक्ष द्वारा परिवादी को पी.टी. मिसिंग अवधि दिनांक 30.04.2021 से 19.11.2021 तक 19148 यूनिट राशि रु. 151939/- को निरस्त किया जावे।

03/ अभिमत में उल्लेखानुसार विधिक प्रावधान में उल्लेखित कण्डिका 8.35 के अनुसार जिस अवधि में मीटर की त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज हुई है उस अवधि में प्रदाय विद्युत की गणना हेतु पी.टी.मिसिंग टेम्पर शुरु होने के पूर्व के तीन माह की खपत अर्थात् मार्च-2021, फरवरी-2021 एवं जनवरी-2021 की मासिक औसत खपत के आधार पर मीटर में दर्ज त्रुटिपूर्ण खपत को हटाते हुए संशोधित देयक जारी किया जावे। विपक्ष द्वारा परिवादी को दिनांक 30.04.2021 से 19.11.2021 तक पी.टी. मिसिंग अवधि की 19148 यूनिट राशि रु. 151939/- को निरस्त किया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में मीटर में त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज होने पर इस प्रकार से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

04/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(एन.एस.मण्डलोई),
सदस्य

(श्रीमती कमल के.कट्टर),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल),
अध्यक्ष